

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, माणिकबाग पैलेस, पोस्ट बैग नं.10, इन्दौर (म.प्र.) OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX

MANIK BAGH PALACE, POST BAG NO.10, INDORE - 452 001 (M.P.)

Phone No.+91731-2762222,2360590, Fax No.+91731-2470898,2471474,

2446358,2446274,2479874

Email-technicalcex@gmail.com

फाo संख्या : I(Gen)30-43/CX/T/16-17-7499

इन्दौर, दिनांक 23.06.2017

इस पत्र के साथ मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना / परिपत्र / निर्देश व्यापार सूचना / जन सूचना / मुख्यालय इन्दौर से जारी पत्र संख्या Trade Notice No. 08/2017-18 dated 23.06.2017 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क , इन्दौर के निम्नलिख्ति अधिकारियों एवं अन्य की सूचना / मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू अग्रेषित की जा रही है :

- 1 मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, भोपाल ।
- 2 प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, मुख्यालय इन्दौर ।
- 3 आयुक्त, (अपील) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, भीपाल, 1
- 4 अपर / संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, इन्दौर ।
- 5 अपर आयुक्त (System), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, इन्दौर ।
- 6 सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, इन्दौर (O & M/Statistics/Preventive/Review/Legal/Confidential/Technical(ST))
- सभी प्रभागीय उप / सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, पीथमपुर-I/II इन्दौर-I/II, सेवाकर-इन्दौर ।
- 8 उप / सहायक आयुक्त (सीमाशुल्क) आई०सी०डी० पीथमपुर / खेडा / धनन्ड / एअर कार्गो ।
- 9 सभी मुख्यालय अधीक्षक(O & M/Statistics/Preventive/Review/Legal/Confidential/Technical(ST)) एव प्रभागीय अधीक्षक (निवारक) , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, पीथमपुर-I/II ।
- 10 सभी अधीक्षक सीमाशुल्क, आई०सी०डी० पीथमपुर / खेडा /धनन्ड / एअर कार्गो ।
- 11 सभी राजपत्रित अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, इन्दौर ।
- 12 प्रमुख लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्के एवं सीमा शुल्के, इन्दौर ।
- 13 सभी निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, सेक्टर प्रभारी एवं अन्य ।
- 14 समस्त व्यापार संघो / वाणिज्य संस्थानों / क्षेत्रीय सलाहकार समिति (Bhopal Zone) के सदस्यो एवं जन समस्या निवारण समिति के सदस्यों की सूचना हेतू ।
- 15 प्रभारी अधिकारी, पत्र सुचना कार्यालय, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, व्हाईट घर्च चौराहा, इंदौर की और इस निवेदन के साथ की इस सुचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करे।
- 16 The Indore Customs House Agents Association, 405, Alankar Point, Geeta Bhawan Square, A.B.Road, Indore.
- 17 The Chairman Association of Industries Madhya Pradesh, 6, Polo Ground Above State Bank of Indore, Indore.
- 18 The Chairman, Pithampur Audhyogik Sangthan, "Shreyas", 231, Saket Nagar, Indore.
- 19 The Charman, The Madhya Pradesh Textile Mills Association, Jail Sabhagraha, 56/1, South Tukoganj, Indore.
- 20 The Chairman, All India Manufacturers Organisation, Pologround Industrial Estate, Indore.
- 21 The Chairman, Indore Branch of CIRC of ICAI, ICAI Bhavan, Plot No.19-B, Scheme No.78, Near SICA School, Indore.
- 22 The Chairman, Tax Practioner's Association, Room No.17/Ground Floor, Aayakar Bhavan (Main Building), Opposite White Church, Indore.

23 गार्ड / मास्टर फाईल ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

सीमा शुल्क,



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, माणिकबाग पैलेस, पोस्ट बैग नं.10, इन्दौर (म.प्र.) OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX

MANIK BAGH PALACE, POST BAG NO.10, INDORE – 452 001 (M.P.) 731-2762222,2360590, Fax No.+91731-2470898,2471474,

Phone No.+91731-2762222,2360590, 2446358,2446274,2479874

Email-technicalcex@gmail.com

C.No. I(Gen) 30-43/17-18/CX/T

Dated 23.06.2017

TRADE NOTICE NO.08 /2017-18 Dated _23.06.2017

Attention of the trade, Industries and all other concerned is hereby invited to Notification No. 5/2017-Central Tax dated 19th June 2017 vide which under the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby specifies the persons who are only engaged in making supplies of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub-section (3) of section 9 of the said Act as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act.

The said notification shall come into force on the 22nd day of June 2017.

All the trade associations and chamber of commerce & industries and members of regional advisory committee are requested to bring the contents of the trade notice to the knowledge of their constituent members and other concerned persons immediately.

(Dr. S. L. Meena) Principal Commissioner

As per mailing list.

du